सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026
Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 03, 2025

संख्या प.9(109)राज-1/2025-29280:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, **जोधपुर** एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **जोधपुर जिले की तहसील बावड़ी** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है :-

क्र. सं.	**जिला / तहसील**	**ग्राम पंचायत / पंचायत समिति**	**मूल राजस्व ग्राम का विवरण**			**नवीन राजस्व ग्राम का विवरण**			**दूरी KM**	**शेष मूल राजस्व ग्राम का विवरण**	
			ग्राम का नाम	**क्षेत्रफल (है.में)**	**जन संख्या 2011**	**ग्राम का नाम**	**क्षेत्रफल (है.में)**	**जन संख्या 2011**		**क्षेत्रफल (है.में)**	**जन संख्या 2011**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**जोधपुर / बावड़ी**	धनारी कलां / बावड़ी	**धनारी कलां** LG Code 84688	1704.00	4829	**आदर्श नगर** Adarsh Nagar	**246.5836**	**366**	**2**	**203.1761**	**2681**
2						**धनारी कलां प्रथम** Dhanari	**617.1615**	**585**	**2.3**		

						Kalan Pratham					
3						**रामनगर** Ramnagar	**637.0788**	**1197**	**1.3**		

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, जोधपुर** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।